

वित्त निर्देश-10/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 88/एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार/
प्रति,

रायपुर, दिनांक 27 मार्च, 2012

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि ।

संदर्भ:- वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर./17-03/चार/ब-9/97 दिनांक
4 जून, 1997 ।


विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन द्वारा राजस्व विभाग के पटवारियों को 100 रु. प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

2/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि पटवारियों के स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि करते हुए 250 रु. प्रतिमाह किया जाये ।

3/ स्टेशनरी भत्ते में उक्त वृद्धि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




27/03/2012
(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पु.क्रमांक 89 /एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार/
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 27 मार्च, 2012

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रभारी M.J.C. की कोट
राजस्व विभाग की वेबसाइट
www.cg.nic.in/Revenue
में अपलोड करने हेतु.

Ravi

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

Bal
अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)